प्रेस नोट - साइबर सेल
जनपद शाहजहाँपुर
दिनांक: 11.07.2026

ऑपरेशन CYVAJRA के तहत साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए कुल 09 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय श्री राजीव कृष्णा द्वारा संचालित **CYVAJRA अभियान** के क्रम में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी साइबर के नेतृत्व में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत साइबर सेल, साइबर थाना, सर्विलांस/एसओजी एवं संबंधित थाना पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा साइबर अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों का गहन सत्यापन, तकनीकी विश्लेषण तथा उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन करते हुए प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच की गई। जांचोपरांत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। साथ ही साइबर अपराधों में प्रयुक्त बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल उपकरणों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना रामचन्द्र मिशन

1. आस्था सिंह पुत्री श्री गौरव कुमार सिंह निवासी मिश्रीपुर थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा कुल रू0 3,91,901 का फ्राड किया गया था जिसके विरूद्ध मु0अ0सं0 139/26 धारा 66D IT ACT थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर पंजीकृत किया गया।

थाना कांट

1. लखविन्दर पुत्र सत्यपाल सिंह नि0 ग्राम खुटरिया, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।
2. राहुल यादव पुत्र किशनपाल नि0 हनुमाननगर लाईनपार, थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद।
3. राशिद खान पुत्र इदरीश खाँ नि0 खिमपुरा, थाना फरीदपुर, जनपद बरेली।
4. देवेश उर्फ देव पुत्र माधव राज दूबे नि0 मंगलनगर, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।
5. सईद सिद्दीकी पुत्र स्व0 तसलीम सिद्दीकी नि0 कस्बा व थाना हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
6. वसीम पुत्र बाबू नि0मो0 बनवूलपुरा, थाना बनवूलपुरा, जनपद हल्द्वानी।

अभियुक्तगणों द्वारा कुल रु0 21,60,900 रुपये का फ्रॉड किया गया जिनके विरुद्ध थाना कांट पर मु0अ0सं0 328/2026 धारा 61(2)/318(4) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद HP लैपटाप, चार्जर, की-बोर्ड, माउस, 7 अदद मोबाईल व 3 चैकबुक, 01 पैनकार्ड व 2 डेबिट कार्ड

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों ने एक राय होकर बताया कि वे सीधे-साधे व्यक्तियों को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते की जानकारी, बैंक खाता संख्या आदि प्राप्त कर लेते थे। इसके उपरांत एसएमएस एपीके (APK) के माध्यम से फ़ाइल इंस्टॉल एवं रन करते थे। एपीके फ़ाइल सक्रिय होने के बाद खाते से संबंधित सभी ओटीपी/एसएमएस एवं अन्य बैंकिंग संदेश उनके हैंडलर के पास प्राप्त होने लगते थे तथा खातों से निकाली गई धनराशि भी हैंडलर के नियंत्रण में पहुँच जाती थी। ठगी कर प्राप्त की गई धनराशि में से कमीशन यूएसडीटी में प्राप्त होता था जिसे हम लोग आपस में बाँट लेते थे।

थाना मिर्जापुर

1 प्रदीप कुमार पुत्र लल्लू नि0 ग्राम राजे रायपुर, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा कुल रू 33500 का फ्राड किया गया था जिसके विरूद्ध मु0अ0सं0 145/26 धारा 318 (4) बीएनएस व 66 D IT ACT थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।
2 नन्हें पुत्र रामसरन नि0 ग्राम पृथ्वीपुर, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा कुल रू 22,500 का फ्राड किया गया था जिसके विरूद्ध मु0अ0सं0 146/26 धारा 318 (4) बीएनएस व 66 D IT ACT थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

मुख्य विवरण:-

- कुल पंजीकृत अभियोग – 04
- साइबर फ्रॉड धनराशि – रू0 26 लाख 55 हजार 300 रुपये के द्वारा कुल रू0 3,91,901 का फ्राड किया गया था (अनुमानित धनराशि)

पुलिस टीम का विवरण:-

1. साइबर सेल, जनपद शाहजहाँपुर
2. साइबर थाना, जनपद शाहजहाँपुर
3. सर्विलांस सेल/एसओजी टीम, जनपद शाहजहाँपुर
4. थाना रामचन्द्र मिशन, कांट, मिर्जापुर, पुलिस टीम

Zero Tolerance against Cyber Crime

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

"सेवा, सुरक्षा, संवेदना"